

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अवास्त, न्याय आपत्तों द्वार 2018 / जेमा कोर्ट )

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018


दायर दि०

फैसल दि०

श्री दत्तजी केकु फिवाणू श्रीवा अनवान  
( वादी ) बनाम पैमजी फिवाणू श्रीवा (पुढेला  
लहसीलदा (सागवाडा)  
( प्रतिवादी )

वादी श्री दत्तजी केकु फिवाणू श्रीवा ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा बाकरा के खाता नम्बर 265 जमाबन्दी सं० 2071-74  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम दत्तजी केकु फिवाणू श्रीवा  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम दत्तजी  
केकु फिवाणू श्रीवा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम पैमजी फिवाणू  
श्रीवा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम दत्तजी केकु फिवाणू श्रीवा  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा बाकरा की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के  
खाता संख्या 265 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
पैमजी फिवाणू श्रीवा में संशोधन कर सही नाम दत्तजी  
केकु फिवाणू श्रीवा दर्ज रेकार्ड किया जावे ।  
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा  
जिला सागवाडा (राज.)